50

प्रारूप –29,
(5.00 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)
Cost Benefit Ratio calculation

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पड़ने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्ररों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं परिस्थितिकीय संतुल्य का आंकलन।

(5.000 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)

5 हैक्टेयर से कम होने के कारण लागत लाभ विश्लेषण लागू नहीं होगा।

कनिष्ठ अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

वन दरोगा
बडियारगढ अनुभाग
माणिकनाथ रेंज डांगचौरा

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज डांगचौरा
वन विभाग उत्तराखण्ड

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर
मुनीकीरेती वन विभाग

प्रारूप –30

It is further certified that: Minutes of meeting of Paldi to Moldhar Sarmoli to khongcha to chunnikhal Motor Road Length-3.000 regarding FRA is as folling

No Dated

Sr. No.		Remark
(a)	The Complete process for indentification and Settelment of rights under the FRA had been Carried out for the entire 0.873 hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre- agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

राजेश्वरी जोशी
जिला पचांयत सदस्य
बडियारगढ क्षेत्र

24/2/15
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर
मुनीकीरेती वन विभाग
मुनि-की-रेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

Signature---------------------------

(Yugal Kishor Pant)
(युगल किशोर पन्त)
District Collector
जिलाधिकारी
Tehri Garhwal
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप –30.1.

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Yugal Kishor PantI.A.S District collector Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Kirtinagar Block area measuring 1.4805 hect for the construction of Gandiyaldhar to Pandav Motor Road forest land under F R A. 2006 of the following
applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Kirtinagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Date-----12/03/2015----
Place-----New Tehri----

Signature--------------------------

(Yugal Kishor Pant)
(युगल किशोर पन्त)
District Collector
जिलाधिकारी
Tehri Garhwal
टिहरी गढ़वाल

Hemu Nautiyal

54-A
63

प्रारूप –30.2,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर टि0ग0

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.4805 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.4805 हे0 वन भूमि) का अस्थाई0 खण्ड लो0नि0वि0 कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नई देवप्रयाग) की दिनांक 24/2/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डी0 एस0 नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री डी0 एस0 नेगी उपजिलाधिकारी ————————अध्यक्ष
2– श्री प्रदीप कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी——————सदस्य
3– श्री रणजीत सिंह बर्तवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी––सदस्य/सचिव
4– श्रीमती अनीता निजवाला बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु 1.4805 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.4805 हे0 वन भूमि अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर टि0ग0 की बैठक की उपस्थिती :–

1– श्री डी0 एस0 नेगी उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	....
2– श्री प्रदीप कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	....
3– श्री रणजीत सिंह बर्तवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	....
4– श्रीमती अनीता निजवाला बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	....

क्षेत्र पंचायत सदस्य
देवप्रयाग ... टि0ग0
विकास खण्ड

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी क्षेत्र– कीर्तिनगर

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी क्षेत्र– कीर्तिनगर

53-A

प्रारूप –1.90,

भू–अर्जन प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– मोलधार एवं खोंगचा

तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृति संदर्भः **2503 / ।।।–(2) / 06–37(प्रा0आ0) / 2006 दिनांक 20.9.2006**

जनपद टिहरी गढवाल में किर्तिनगर विकास खण्ड के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण मोटर मार्ग का निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.4805 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1. 4805 हे0 वन भूमि) का अस्थाई0 खण्ड लो0नि0वि0 कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी

के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 0.666 हे0 ग्राम पंचायत मोलधार एवं खोंगचा के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाताहै कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बधित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

ह0 / – ....

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

54.

प्रारूप –30.3,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– क्वीली / पल्यापटाला

तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डीयालधार पाडण्व मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डीयालधार पाडण्व मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.4805 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.4805 हे0 वन भूमि) का अस्थाई0 खण्ड लो0 नि0 वि0 कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्वीली एवं पल्यापटाला द्वारा दिनांक 08.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्वीली एवं पल्यापटाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.4805 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / [signature]
ग्राम सचिव पल्यापटाला
मुहर सहित कीर्तिनगर

ह0 / [signature]
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

दिनांक 08.02.2015

रजनी देवी
ममता देवी
चौपाल सिंह
महेन्द्र सिंह
नरेन्द्र उपाध्याय

जिला पँचायत सदस्य
चिलेड़ी - 34
बडियारगढ़ (टि0 ग0)

क्षेत्र पंचायत सदस्य
देवपड़ी पट्टी मोलूँ
विकास खण्ड कीर्तिनगर टि0ग0

माधुरी देवी
सुरेन्द्र सिंह
हरियार सिंह
नरेन्द्र सिंह
मालती देवी

55

प्रारूप –30.3.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–क्वीली / पल्यापटाला

तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डीयालधार पाडण्व मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 8.02.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	पूर्व श्री सत्य सिंह मेहरा	सत्यसिंह
2.	" बीरेन्द्र सिंह मेहरा	[illegible]
3.	" भगत सिंह मेहरा	भगतसिंह
4.	" सोबन सिंह	सोबनसिंह
5.	" विक्रम सिंह मेहरा	[illegible]
6.	" प्रताप सिंह मेहरा	[illegible]
7.	" लक्ष्मण सिंह मेहरा (पूर्व प्रधान)	[illegible]
8.	" करण सिंह मेहरा	करणसिंह
9.	" उपेन्द्र सिंह मेहरा	[illegible]
10.	" होशियार सिंह	होशियारसिंह
11.	" नरेन्द्र सिंह मेहरा	[illegible]
12.	" उपेन्द्र सिंह	[illegible]
13	" धनबीर सिंह बर्त्वाल	धनबीरसिंह
14.	" सुजान सिंह बर्त्वाल	सुजानसिंह
15.	श्रीमती सुखदेई देवी	सुखदेई देवी
16.	" पूर्णी देवी	[illegible]
17.	श्री रमेश सिंह बर्त्वाल	[illegible]
18.	" राजदीप सिंह बर्त्वाल	[illegible]
19.	" कुन्दि सिंह	[illegible]
20.	श्रीमती सबीता देवी	सबिता देवी
21.	" रजनी देवी	रजनी देवी
22.	" ममता देवी	ममता देवी
23.	" भागती देवी	भागती देवी
24	सुनीता देवी	[illegible]
25	चौपाल सिंह	चौपालसिंह
26	मदन सिंह	मदनसिंह

क्वीली (1–12), पल्यापटाला (13–26)

राम सिंह
क्षेत्र पंचायत सदस्य

ह0/– [illegible]
ग्राम सचिव पल्यापटाला
मुहर सहित कीर्तिनगर

ह0/– [illegible]
ग्राम प्रधान
मुहर सहित
दिनांक 08-02-2015
ग्राम पंचायत ... कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल)

प्रारूप –33,

(भूवैज्ञानिक की आख्या)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की भूवैज्ञानिक की आख्या भूवैज्ञानिक द्वारा निर्गत अघतन निरीक्षण कर संलग्न है।

कनिष्ठ अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

58

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 219 / 1650 / 07

जनपद टिहरी गढवाल में घण्डियालधार से पांडव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

नवम्बर 2007

जनपद टिहरी गढवाल में घण्डियालधार–पांडव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

59

1 अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के अन्तर्गत 6.35 कि0 मी0 लम्बाई में घण्डियालधार पांडव मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 31.10.2007 को संबधित कनिष्ठ अभियन्ता श्री ज्ञानेन्द्र चौधरी के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार–पांडव मोटर मार्ग का 8.000 कि0 मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा एक ही समरेखन बनाया गया है। प्रस्तावित समरेखन पूर्व निर्मित तेगढ अच्छरीखूट मोटर मार्ग के कि0मी0 9 के अंतिम बिन्दु से आगे आरम्भ होता है। समरेखन ग्राम घण्डियालधार से आरम्भ होकर परीपण्डोली, डांडाखिल होकर ग्राम पांडव पर समाप्त होता है। अवगत कराया गया कि इस समरेखन के अनुसार मार्ग की वास्तविक लम्बाई 6.35 कि0मी0 आयेगी। समरेखन में दो हेयर पिन बैण्ड है, जो क्रमशः कि0 मी0 3.875 तथा 5.675 में नियोजित किये गये है। समरेखन अलग–अलग भाग में नाप भूमि (2.35 कि0 मी0) तथा सिविल भूमि (4.00 कि0 मी0) से होकर गुजरता है। समरेखन क्षेत्र में क्वार्टजाईट तथा शिस्ट चट्टाने विद्यमान है तथा पहाडी ढलान सामान्यतः 20^0 से 45^0 तक प्रतीत होता है।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहॉ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहॉ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये।

(ग) समरेखन के समीप स्थित घरो से सुरक्षित दूरी रखते हुये विना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(घ) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाडी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(ङ) जहॉ मार्ग कटान की ऊचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(च) जहा आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाडी ढलान पर समुचित पौधो का रोपण किया जाये, जिससे ढलानो पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(छ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(ज) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

60

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहा ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहा ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

(ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते है तथा न दरारे भी उत्पन्न हो सकती है, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिग की जाये।

5. घण्डियालधार–पांडव मोटर मार्ग हेतु 6.35 कि0 मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तम परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावो के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हे प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी

(1) भूमि हस्तातरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये ग सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर 1 लो0 नि0 वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गो के निर्मा एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पंत्राक 7272/8(1)याता0–उ0/ 05 दिनांक 16.11.2005 दिये गये निर्देषों का भी अनुपालन किया जायें की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत करा जाये।

H. Kumar 8.11.07

भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि स्तर-1
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून

प्रारूप –34,

(भूवैज्ञानिक की संस्तुति / सुक्षाव का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियंता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर (मुख्यालयः कीर्तिनगर)	**सहायक अभियंता** अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर (मुख्यालयः कीर्तिनगर)	**अधिशासी अभियंता** अ0ख0 लो0निं0वि0 श्रीनगर (मुख्यालयः कीर्तिनगर)

प्रारूप –35,

(Task Forcer Certificate)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(i) Lay out of the Land to be followed as far as possible.

(ii)Heavy cutting/filling be avoided as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted steep hill slope as also to be avoided

(iii)Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical Engineers and Geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv)Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground Engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as :-

1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.

2. Blasting by explosives is to be restricted to the minimum Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for aniline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process

3. All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(4) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants.In certain selected unstable areas terraced has also been plasticized as a stabilizing measure with god results

(5) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guide lines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियंता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर (मुख्यालयः कीर्तिनगर)	सहायक अभियंता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर (मुख्यालयः कीर्तिनगर)	अधिशासी अभियंता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर (मुख्यालयः कीर्तिनगर)

प्रारूप –36,

(मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण पत्र)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित् नहीं।

3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यापक विभाग सहमत हैं।

6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हरस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हरस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनाँक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निरस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खण्ड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।

17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते याचक विभाग को मान्य है

कनिष्ठ अभियंता	सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)	(मुख्यालयः कीर्तिनगर)	(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

64

प्रारूप –37,

(धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ठ अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

वन दरोगा
बडियारगढ अनुभाग
माणिकनाथ रेंज डांगचौरा

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज डांगचौरा
वन विभाग उत्तराखण्ड

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर
मुनीकीरेती वन विभाग

राजस्व उपनिरीक्षक
घण्डियालधार लोस्तू
कीर्तिनगर

तहसीलदार
तहसील - देवप्रयाग
टि0ग0

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढवाल

प्रतिहस्ताक्षरित

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारूप –38,

(वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

प्रारूप –39,

(परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

प्रारूप –40,

(लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नाम:– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों / परिवारों / जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

कम संख्या	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या	
			कुल	अनुसूचित जाति
1	पल्यापटाला	00334100	536	0
2	परिपुण्डोली	00334000		2
3	पाडण्व	00334200	122	0

कनिष्ठ अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

प्रारूप –41,

(वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये .... प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 1.4805 हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये.............. ....होता है।

उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का .... प्रतिशत की दर से रूपये.......................................प्रतिवर्ष होता है।

नोट – सिविल भूमि का हस्तान्तरण किया जाना है। लीज रेन्ट पर भूमि नहीं ली जानी है।

कनिष्ठ अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

राजस्व उपनिरीक्षक
धण्डियालधार लोस्तू
कीर्तिनगर

तहसीलदार
तहसील देवप्रयाग
टि0ग0

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढवाल